प्रेषक,

संख्याः 151 भू0क्रय/18(1)/2007

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2007

विषयः— मै0 एल0एम0डी0 एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट को इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु ग्राम—कांजीबांरा, परगना—भगवानपुर, तहसील—रूड़की, जनपद—हरिद्वार में कुल 6.079 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1324/भूमि व्यवस्था—भूमि क्रय—VIII दिनांक 13—12—2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 एल0एम0डी0 एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट को इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) एंव उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(III) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत खसरा नम्बरों के अनुसार ग्राम—कांजीबांरा, परगना—भगवानपुर, तहसील—रूड़की, जनपद हरिद्वार में कुल 6.079 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के

..................(2)

लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी तथा 2 वर्ष के भीतर योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

7– स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

8– स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निर्धारित सिद्धान्तों/नीतियों पूर्णतः पालन किया जायेगा।

9– संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के भीतर भूमि का उपयोग इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु कर लिया जायेगा।

10– संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख की पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु नियमानुसार एआईसीटीई को आवेदन कर दिया जायेगा। जिसकी एक प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

11– एआईसीटीई की संस्तुति से पूर्व संस्था द्वारा इंजीनियरिंग कालेज का संचालन नहीं किया जायेगा।

12– ट्रस्ट द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु किया जायेगा।

.....(3)

13– भूमि का अंतरण/विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसे विक्रय के लिये सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14– भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन करा लिया जायेगा जिसमें उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि या सार्वजनिक भूमि के उपयोग की संभावना न हो।

15– संस्थान के संचालन के लिये समस्त विधिक व अन्य अनुमतियॉं/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

16– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
3– सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– श्री श्याम सुन्दर गोयल, अध्यक्ष, एल0एम0डी0 एजूकेशनल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट, 12 गांधी रोड, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।